वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर

संख्या : 902 /XVII(1)-01 / 2007-12(17) / 2007

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01, देहरादून, 13 नवम्बर 2007

विषय : स्वैच्छिक संस्था इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान, रायवाला, जनपद-देहरादून द्वारा संचालित तीन अनुसूचित जनजाति प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतनादि के **भुगतान हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1088-89 / ज.जा.क. / स्वै.सं. / अनु.प्र. / 2007-08, दिनांक 13 सितम्बर 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या-11 / XVII(1)-01 / 2007-12(17) / 2005, दिनांक 30 मार्च 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वैच्छिक संस्था इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान, रायवाला, जनपद-देहरादून द्वारा संचालित निम्नलिखित तीन अनुसूचित जनजाति प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन-भत्तों के भुगतान हेतु रूपये 28,88,355/- (रूपये अठाईस लाख अठासी हजार तीन सौ पचपन मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्राथमिक पाठशाला, बोक्सा बस्ती, छिद्दरवाला, जनपद-देहरादून।
(2) प्राथमिक पाठशाला, बोक्सा बस्ती, रायवाला गांव, जनपद-देहरादून।
(3) प्राथमिक पाठशाला, बोक्सा बस्ती, गढीश्यामपुर, जनपद-देहरादून।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. चालीस छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा प्राथमिक पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसी के दृष्टिगत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। स्पष्ट है कि छात्रों के अनुपात में ही अध्यापकों को वेतन भुगतान होगा। यदि उक्त शर्तें संस्था पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश प्राप्त करने होंगे।

BHUWAN PANDEY 13 November 2007

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की 'अनुदान संख्या-31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान-00" के मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-262(NP)/XXVII(3)/2007, दिनांक 07 नवम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 907(1)/XVII(1)-01/2007-12(17)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, स्वैच्छिक संस्था इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान, रायवाला, जनपद-देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

13/11/2015

12 November 2007